(381)

46

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक : 3 JUN 2013

आदेश

मंत्रिमण्डल की आज्ञा 63/2013 दिनांक 20.03.2013 के अनुक्रम में राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों मे सार्वजनिक, चैरीटेबल एंव सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 19.04.2011 को जारी नीति की निरन्तरता एवं विभागीय आदेश दिनांक 27.08.2012 के अधिक्रमण में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए जाते हैं :–

(1) आवासन मण्डल के स्तर पर 5000 वर्गमीटर तक प्रचलित आवंटन दर पर आंवटन किया सकेगा। 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा।

(2) आवंटन दर/रिजर्व दर से कम पर आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को आज्ञा क्रमांक 63/2013 के क्रम में।
6. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग/राजस्व विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश समस्त संबंधित को प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।

3/6/2013
(एन०एल०मीना)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(166)